

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजाखेड़ा
 कमलेश बनाम मिरोती लाल
 किस्म मुकदमा दावा नं. 22 सन् 21

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
------------	---------------------------------	---

22/03/21 दावा दफ्तर से वाद जॉय पेश हुआ। दावा दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादी गण को जरिए नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 28-04-21 को पेश हो।

28/4/21 पत्रावली पेश हुई। कमीनों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा. के राज्य कार्य में व्यस्त होने से जकारल जारी पेशी हो गई गत आदेश पर माजाम में पत्रावली दिनांक 17/6/21 को पेश हो।
 हस्ताक्षर रीज

17/6/21 आज यह पत्रावली कमीनों की एव वादीगण के गर्भनापुत्र पर दफ्तर से तलब होकर पेश हुई। वादीगण, एव कमीनों वादी द्वारा गर्भनापुत्र में दावा फल उत्पन्न करने एव विवाह करने वापर विवेकन किया है उन्हें भौतिक भी सुना गया। इनके द्वारा भौतिक रूप से भी दावा फल इसी स्टेज पर वारिज करने वापर विवेकन किया। उक्त दावा वादीगण उन्हीं गर्भनापुत्र इसी स्टेज पर वारिज किया गया है पत्रावली के जल सुभार देकर बाद तफ्तील शामिल दफ्तर का हुकम सुनाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी (धौलपुर)

नि. अ. सन्तो
 सुनीता
 सुमन
 नि. अ. सीमा
 Joleksh
 Anurag